रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2000/चैत्र 28, 1922
No. 83] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2000/CHAITRA 28, 1922

श्रम मंत्रालय

(केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2000

संख्या यू-23013/10/2000-एल.डब्ल्यू.—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड, भारतीय तेल लिमिटेड (एल.पी.जी. प्लांट) दुलियाजन, असम के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम को समाप्त करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित करता है ।

2. समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे—

(1)	श्री शंकर साहा, सचिव, यू.टी.यू.सी.,लेनिन सरणि, 77/2/1, लेनिन सरणि, कलकत्ता-700013	सदस्य
(2)	श्री वी. के. बाहुमानी कार्यकारी निदेशक, सिविल इंजीनियरिंग (जी) रेलवे रोड, कमरा नं. 136, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली-110001	सदस्य
(3)	क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) राजगढ़ रोड, चाँदमारी, गुवाहाटी-781003	सदस्य संयोजक

3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

''सेफ्टी वाल्व का मुद्राकरण/मरम्मत करना, वाल्व के अन्दर रखे गए 'ओ' एम जी को पुन:स्थापित करना, सेफ्टी कैप्स को फिट करना, गैस टेंकर का मुद्रांकन करना, सिलेन्डरों पर स्टेंसिलिंग करना और भारतीय तेल लिमिटेड, दुलियाजन, असम के प्रतिष्ठान में एल.पी.जी. सिलेन्डरों की मरम्मत की जांच से संबंधित कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना और

उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल लिमिटेड, दुलियाजन, असम के प्रतिष्ठान में विभिन्न अकुशल जॉबों/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाये या नहीं। समिति, इन कामगारों के विषय में, माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 1996 की याचिका अपील संख्या 557 के संदर्भ में पारित किए गए निर्देशों के अनुसार प्रधान नियोजक के मामले पर भी विचार करेगी और समिति उपरोक्त याचिका अपील के प्रतिवादी कामगारों के विषय में अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करेगी कि प्रधान नियोजक किसे माना जाए''।

4. समिति का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा। समिति तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

के. कृष्णामूर्ति, सचिव

MINISTRY OF LABOUR

(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD)

RESOLUTION

New Delhi, the17th April, 2000

No. U-23013/10/2000-LW.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of abolition of contract labour in the establishment of Oil India Limited, (L.P.G. Plant) Duliajan, Assam.

2. The composition of the committee and its terms of reference will be as under :—

(1) Shri Shankar Saha, Secretary, UTUC, Lenin Sarani, 77/2/1, Lenin Sarani, Calcutta-700013	Member
(2) Shri V.K. Bahumani, Executive Director, Civil Engineering (G) Railway Board, Room 136, Ministry of Railways, New Delhi-110001	Member
(3) The Regional Labour Commissioner (Central) Rajgarh Road, Chandmari, Guwahati-781 003.	Member Convenor

3. The terms of reference of the proposed committee would be as follows:—

"To study the working of contract labour system in various unskilled jobs/works of sealing/repairing of safety valve, replacing 'O' mg placed inside the valve, fixing of safety caps, sealing of Gas tanker, stencilling on cylinders, other testing is repairing of LPG Cylinders in the establishment of Oil India Limited, (L.P.G. Plant), Duliajan, Assam and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the establishment of Oil India Limited, (L.P.G. Plant) Duliajan, Assam be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. The Committee will also look to the issue of the Principal Employer in respect of these workers, as per the directions of the Hon'ble Guwahati High Court passed in Writ Appeal No. 557 of 1996, and indicate in its report as to who is to be treated as Principal Employer in respect of the respondent workers covered in above writ appeal.

4. The Headquarter of the Committee will be at Guwahati. The Committee should submit its report within three months.

K. KRISHNAMOORTHY, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054